

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला राजस्व शाखा)

आदेश

विभाग निदेशानुसार जिले के सभी अंचलों में जमाबंदी अभिलेखों का डिजिटাইजेशन किया गया है तथा ऑनलाईन माध्यम से दाखिल-खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है एवं ऑनलाईन भू-लगान भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। लेकिन विभाग द्वारा जिले की समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ है कि राजस्व अभिलेखों का पूर्ण रूप से अद्यतीकरण नहीं होने के कारण अंचलों में काफी संख्या में दाखिल-खारिज आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है एवं लगान भुगतान सुविधा का उपयोग भी अपेक्षित संख्या में रैयतों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-8भू0सु0को0 (ऑनलाईन दाखिल-खारिज)-01/2018-568(8)/रा0, दिनांक-12.09.2019 के द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारिज, ऑनलाईन भू-लगान भुगतान एवं जमाबंदी अभिलेखों के डिजिटাইजेशन के संबंध में आम रैयतों से प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु अंचल स्तर पर शिविर का आयोजन करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त विभागीय निदेश के आलोक में अंचल स्तर पर शिविर का आयोजन करने हेतु निम्नांकित आदेश दिया जाता है :-

- सभी अंचल अधिकारी ऑनलाईन दाखिल-खारिज, ऑनलाईन भू-लगान भुगतान एवं जमाबंदी अभिलेखों के डिजिटাইजेशन के संबंध में भू-धारियों/रैयतों से प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण/निष्पादन हेतु प्रत्येक सप्ताह के बुधवार/गुरुवार को अंचल स्तर पर शिविर का आयोजन करेंगे।
- शिविर के आयोजन के संबंध में स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तार यंत्र अथवा अन्य साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर शिविर आयोजन की सूचना स्थानीय नागरिकों को देंगे।
- अंचल स्तर पर आयोजित शिविर में किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे साथ ही शिविरों का भ्रमण कर रैयतों से प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु उच्च गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखना सुनिश्चित करेंगे।
- अंचल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र में भूमि सुधार उप समाहर्ता को उपलब्ध करायेंगे तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर अगले दिन राजस्व शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

साप्ताहिक प्रतिवेदन हेतु विहित प्रपत्र

अंचल-.....

अनुमंडल-..... प्रतिवेदन की तिथि-.....

क्र० सं०	विषय	शिविर में प्राप्त आपत्ति आवेदनों की सं०	निष्पादित आपत्ति आवेदनों की सं०	लंबित आवेदनों की सं०	अभ्युक्ति
1	ऑनलाईन दाखिल-खारिज				
2	ऑनलाईन भू-लगान भुगतान				
3	जमाबंदी अभिलेखों का डिजिटাইजेशन				
	कुल				

- भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया एवं गोगरी से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर अपर समाहर्ता, खगड़िया विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

मामला अतिमहत्वपूर्ण है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 1684 / रा0, दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,
खगड़िया।